प्रजातन्त्र और शिक्षा के उद्देश्य-

Democracy and Objectives of Education:-

प्रजातान्त्रिक युग में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

(1) व्यक्तित्व का विकास- जनतान्त्रिक शिक्षा द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो। बौद्धिक विकास के साथ-2 व्यक्ति का शारीरिक; मानसिक, नैतिक व सांस्कृतिक विकास भी आवश्यक है।

(2) धार्मिक सहिष्णुता का विकास- हमारे देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं अतः परस्पर मेल के लिए आवश्यक है शिक्षा द्वारा व्यक्ति में सौहार्द एवं सहिष्णुता की भावना विकसित हो।

(3) व्यावसायिक कुशलता का विकास- एक अच्छे नागरिक का स्वावलम्बी होना आवश्यक है इसके लिए आवश्यक है नये-नये कारखाने खुले, उत्पादन एवं निर्यात के तकनीकी व इंजीनियरिंग विद्यालयों की व्यवस्था हो।

(4) अवकाश के समय का सदुपयोग- जनतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों को अवकाश काल का सदुपयोग सिखाना है। समय का सदुपयोग रचनात्मक कार्यों में किया जाये।

Scanned with CamScanner

प्रजातन्त्र में शिक्षा का महत्व

(Importance of Education in Democracy)

जान डीवी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'डेमोक्रेसी एण्ड एजुकेशन' में लिखा है कि "जनतंत्र में ऐसी शिक्षा दो जो व्यक्तियों में सामाजिक कार्यों तथा सम्बन्धों में रुचि उत्पन्न कर सके"।

प्रजातन्त्र में शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व निम्न कारणों से है।

(I) नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों से न के केवल परिचित हों बल्कि उचित ढंग से पालन भी करें।

(II) प्रजातन्त्र की सफलता ऐसे नागरिकों पर निर्भर है जो योग्य हों। अतः शिक्षा के द्वारा ही योग्य व उत्तम नागरिकों का निर्माण सम्भव है।

(III) प्रजातन्त्र में यह आवश्यक है नागरिक अपनी संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान विज्ञान से परिचित हों तथा उसका संरक्षण करें। जो शिक्षा द्वारा ही सम्भव है।

(IV) शिक्षा के द्वारा प्रजातान्त्रिक मूल्यों को जीवित रखा जा सकता है।

Scanned with CamScanner

प्रजातन्त्र में शिक्षा का महत्व

(Importance of Education in Democracy)

जान डीवी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "डेमोक्रेसी एण्ड एजुकेशन" में लिखा है कि "जनतंत्र में ऐसी शिक्षा हो जो व्यक्तियों में सामाजिक कार्यों तथा सम्बन्धों में रुचि उत्पन्न कर सके"।

प्रजातन्त्र में शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व निम्न कारणों से है।

(I) नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों से न केवल परिचित हों बल्कि उचित ढंग से पालन भी करें।

(II) प्रजातन्त्र की सफलता ऐसे नागरिकों पर निर्भर है जो योग्य हों। अतः शिक्षा के द्वारा ही योग्य व उत्तम नागरिकों का निर्माण सम्भव है।

(III) प्रजातन्त्र में यह आवश्यक है नागरिक अपनी संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान विज्ञान से परिचित हों तथा उसका संरक्षण करें। जो शिक्षा द्वारा ही सम्भव है।

(IV) शिक्षा के द्वारा प्रजातान्त्रिक आदर्शों को जीवित रखा जा सकता है।

Scanned with CamScanner

भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान
Provisions Realated to education in India

भारत के संविधान में शिक्षा के विषय में निम्न व्यवस्थाएं निहित है।

(1) निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा — संविधान की धारा 45 में लिखा है कि राज्य 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान करेगा।

(2) धार्मिक शिक्षा — संविधान की धारा के अनुसार किसी धर्म विशेष के प्रचार हेतु किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जायेगा।

(3) अल्पसंख्यक को की शिक्षा — अनु० 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का पूर्ण अधिकार है।

(4) अनु० 46 — पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों के विशेष तथा सामाजिक के सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

Scanned with CamScanner